न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केशवराय पाटन जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :— दुर्गाशंकर मीना (RAS)

वाद पत्र संख्या :— 96 / 2019

1. रामलक्ष्मण आयु 35 साल आ0 श्री लाला जाति मीना निवासी कमोलर तहसील केशवराय पाटन जिला बून्दी राज.
2. रामभरोष आयु 22 साल आ0 श्री लाला जाति मीना निवासी कमोलर तहसील के0 पाटन जिला बून्दी राज.

—वादीगण

बनाम

1. लाला आयु 56 साल आ0 श्री रामकिशन जाति मीना निवासी कमोलर तहसील केशवराय पाटन जिला बून्दी राज0
2. राजस्थान राज्य सरकार जर्ये तहसीलदार केशवराय पाटन।

— प्रतिवादीगण

वाद :— अधिकार घोषणा, बंटवारा भूमि एवं स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88,89,188,53 आर0 टि0 एक्ट

उपस्थित :—

1. वादी की और से श्री जनकराज मीणा, एडवोकेट
2. प्रतिवादी की और से श्री मांगीलाल गोचर, एडवोकेट।

—: निर्णय :—

दिनांक — 27.09.2019

1. वादीगण के द्वारा दिनांक 20.06.2019 को वाद अधिकार घोषणा, बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया गया।
2. वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि कृषि भूमि ख.सं. 20 रकबा 4.18 है0, ख.सं. 188 रकबा 0.22 है0, ख.सं. 318 रकबा 0.99 है0 कुल किता 3 कुल

उपखण्ड अधिकारी
के. पाटन (बून्दी)

Scanned by CamScanner

रकबा 5.39 है0 वाके ग्राम व माल कमोलर तहसील केशवराय पाटन जिला बून्दी राज. में विस्थित है जिस पर वादी खातेदार टिनेन्ट है। कृषि भूमि ख.सं. 320 रकबा 0.68 है0 वाके ग्राम व माल कमोलर तहसील के0 पाटन जिला बून्दी राज. में विस्थित है का बैचान रामजानकी पत्नि नाथूलाल को किया जा चुका है। उक्त वर्णित कृषि भूमि वादीगण की पुश्तैनी भूमि है जो पुरखो से चली आ रही है जिस पर वादीगण को जन्म से अधिकार प्राप्त है। वादीगण वादग्रस्त भूमि में निहित अपने 1/3–1/3 हिस्से को प्राप्त कर पृथक से दर्ज करवाये। उक्त भूमि वर्तमान में प्रतिवादी सं. 1 के खातेदारी में दर्ज होने से उक्त भूमि को रहन, बय व अन्य प्रकार से खुर्द बुर्द करने पर आमादा है। जब वादीगण ने वादग्रस्त भूमि को रहन, बय करने से मना किया तो अपना 1/3–1/3 हिस्सा वादीगण ने अपनी खातेदारी में दर्ज करवाने के लिये कहा तो प्रतिवादी सं. 1 ने धमकी दी की मेरे जीते जी तो बंटवारा नही करवाउंगा न ही तुम्हारे खाते दर्ज करवाउंगा और ज्यादा करोगे तो तुम्हारे को जो भूमि बंटवारे में दे रखी है उसे भी वापस लेकर किसी दूसरे को बैचान कर दूंगा। अन्त में प्रार्थना की गई कि वादपत्र की चरण सं. 1 में वर्णित कृषि भूमि पर वादीगण को उक्त भूमि में 1/3–1/3 हिस्से पर अपने अधिकारो की विधिवत रूप से घोषणा करावे एवं तद्नुसार बंटवारा किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल किया जावे।

3. वादीगण का वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रति.सं. 1 ने इकबालिया जवाब पेश किया एवं वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 ने आपसी सहमति का दिनांक 26.07.2019 को राजीनामा पेश किया। प्रतिवादी सं. 2 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

4. बहस उभयपक्ष सुनी गई। उभयपक्षों के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 26.07.2019 को बाद जॉच तस्दीक किया गया। राजीनामा तथा इकबालिया जवाब के आधार पर वादीगण का वादपत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

–::निर्णय::–

परिणामस्वरूप वादी का वादपत्र राजीनामा अनुसार स्वीकार किया जाता है। वादी सं. 1 रामलक्ष्मण आ0 लाला जाति मीना निवासी कमोलर तह0 के0 पाटन के हिस्से में कृषि भूमि ख.सं. 20 रकबा 4.18 है0 में से 2.09 है0,

उपखण्ड अधिकारी
के. पाटन (बून्दी)

Scanned by CamScanner

उत्तर दिशा, वाके ग्राम व माल कमोलर तहसील के0 पाटन, वादी सं. 2 रामभरोष आ0 लाला जाति मीना निवासी कमोलर तह0 के0 पाटन के हिस्से में कृषि भूमि ख.सं. 20 रकबा 4.18 है0 में से 2.09 है0, दक्षिण दिशा, वाके ग्राम व माल कमोलर तहसील के0 पाटन एवं प्रतिवादी सं. 1 लाला आ0 रामकिशन जाति मीना निवासी कमोलर तह0 के0 पाटन के हिस्से में कृषि भूमि ख.सं. 188 रकबा 0.22 है0 सम्पूर्ण, ख.सं. 318 रकबा 0.99 है0 सम्पूर्ण, कुल किता 2 कुल रकबा 1.21 है0 वाके ग्राम व माल कमोलर तहसील के0 पाटन, रहेगी एवं रहन बदस्तुर रहेगा। तहसीलदार के0 पाटन को आदेशित किया जाता है कि तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। उक्तानुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 27.09.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

27/9/19

(दुर्गाशंकर मीना)
उपखण्ड अधिकारी
के0 पाटन

Scanned by CamScanner